विधान परिषद् के तृतीय सत्र, 2024 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अल्पसूचित प्रश्न संख्या–1 का उत्तर –

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
क	क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16(11) के अन्तर्गत की गयी है ?	माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16(11) के अन्तर्गत तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति का प्राविधान नहीं है अपितु उक्त अधिनियम की धारा–16 ई(11) के अन्तर्गत छः माह अथवा शिक्षा सत्र की समाप्ति तक तदर्थ शिक्षक नियुक्त किये जाने की व्यवस्था है।
ख	यदि हाँ, तो प्रदेश में तदर्थ शिक्षकों की कुल कितनी संख्या है ?	धारा–16 ई(11) के अन्तर्गत छः माह अथवा शिक्षा सत्र की समाप्ति तक तदर्थ शिक्षक नियुक्त किये जाने का प्राविधान है, किन्तु संस्थाधिकारियों द्वारा अनियमित रूप से इनको निर्धारित अवधि के पश्चात भी बनाये रखा गया है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या–8300/2016 के समादर में निर्गत शासनादेश दिनांक 09.11.2023 की परिधि में संस्थाधिकारियों द्वारा इनकी कुल संख्या 1275 दर्शायी गई हैं।
ग	क्या विगत वर्ष माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में हुए निर्णय के अधीन उक्त में कितने शिक्षक सम्मिलित हैं ?	मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या–21492/2023 विनोद कुमार श्रीवास्तव व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में हुए निर्णय के अधीन धारा–16 ई(11) के अन्तर्गत नियुक्त कोई भी तदर्थ शिक्षक सम्मिलित नहीं है।

गुलाब देवी
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)